

64

न्यायालय में, श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश,
कैम्प कोर्ट रीवा, जिला रीवाम0प्र01



R 5015 IIIA

कृषि उपज मण्डी कोतमा,, जिला अनूपपुर म0प्र0----- निगरानीकर्ता
// बनाम //

नवल किशोर पिता जमुनाप्रसाद सराफ,
बसंत सराफ पिता जमुनाप्रसाद सराफ,
चन्द्र प्रकाश पिता जमुनाप्रसाद सराफ,
सभी निवासी ग्राम कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर
म0प्र01 ----- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959ई01

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय
शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्रमांक-
2011
56/निग./2010 पारित आदेश दिनांक- 17.1
2016 के क्रिद्द व श्रीमान कलेक्टर महोदय अफ
के प्र0क्र0 02/पुन./2009-2010 पारित आदेश
दिनांक 29.1.2010 व श्रीमान उपखण्ड अधिक
कोतमा के प्र0क्र0 82/अपील/ 2008-2009 पारित
आदेश दिनांक 25.1.2010 को स्थिर रखे जाने
बावत ।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न लिखित हैं :-

1. यहकि, आराजी खसरांनं0- 1161 रकबा 0.68एकड. ग्राम कोत
प0ह0 एवं रा0नि0मं0 कोतमा, तहसील कोतमा जिला अनूपपुरम0प्र0 स्थि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5015-III/17

जिला-अरसोड

पक्षकार का नाम कृषि उपज मांडी बोम्बे - बजल कियो

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p>M</p> <p>सदस्य</p>	